/

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403 ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 17967-18018 दिनांक –

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका

केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर, बेहरोड, खेरली, रूपवास, बयाना, गुलाबपुरा, आसीन्द, गंगापुर, माण्डलगढ, जहाजपुर, केशोरायपाटन, निवाई, इन्द्रगढ, लाखेरी, कापरेन, राजाखेडा, बगरू, फुलेरा, सांभर, कोटपुतली, अकलेरा, बिलाडा, फलोदी, पिपाडसिटी, टोडाभीम, कैथून, रामगंजमण्डी, ईटावा, सांगोद, परवतसर, नावा, डीगाना, कुचेरा, मेडतासिटी, छोटीसादडी, देवगढ, आमेट, पदमपुर, रायसिंहनगर, सादुलशहर, केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, खण्डेला, लोसल, नीमकाथाना, उनियारा, देवली, टोडारायसिंह, निवाई।

विषय:– राजस्थान में 100 शहरों में Faecal Sludge & Saptage Management (FSSM) के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:– स्वायत्त शासन विभाग एवं सीडीडी सोसाइटी के मध्य दिनांक 03.08.2017 को संपादित MoU के क्रम में।

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत निकायों मे शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। ओडीएफ प्लस हेतु निकायों मे जहॉं सीवरेज नही है वहॉं Faecal Sludge & Saptage Management (FSSM) किया जाना है।

100 नगर निकायों में (FSSM) की डीपीआर बनाये जाने हेतु MoU के अनुसार सीडीडी ने कार्य प्रारम्भ किया है। सीडीडी द्वारा आपके शहर में सेप्टेज प्रबंधन के लिए डीपीआर बनायी जावेगी।

कृपया निम्नलिखित कार्य करके सीडीडी टीम की सहायता/सहयोग किया जाना सुनिश्चित करावें।

1. FSSM हेतु आपके शहर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावें।
2. Faecal Sludge Treatment plant (FSTP) हेतु आवश्यक भूमि का चयन करते हुये फेन्सिंग इत्यादि का कार्य करवाकर साइन बोर्ड लगवाया जावें, भूमि नगर केंद्र से 6 किमी दूर न हो व 100 मीटर के भीतर कोई आवासीय क्षेत्र न हो तथा आवश्यक मापदण्ड के अनुसार हो।
3. वार्षिक बजट में FSSM के लिए प्रावधान किया जावें। इस हेतु FFC/SFC की गाईड लाईन के अनुरूप राशि का उपयोग FSSM हेतु किया जावे।
4. सीडीडी सोसाइटी द्वारा आवश्यक आंकडो का संग्रह में सहयोग किया जावें, जिसमें नवीनतम सर्विस लेविल बेंचमार्क डेटा, डीपीआर को बनाने के लिए भूमि का सर्वे, खसरा नम्बर, स्वामित्व का प्रमाण नक्शे की प्रतिलिपि एवं सम्बन्धित विभाग से NoC इत्यादि हेतु दस्तावेज एवं व्यवस्था करते हुये डीपीआर बनाने हेतु आवश्यक आंकडे सीडीडी को उपलब्ध करावें।

संलग्न:– LSG एवं सीडीडी के मध्य MoU

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

277

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx

क्रमांक – एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 18019-18034 दिनांक – 27/11/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
5. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
6. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
7. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
8. प्रोगामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
9. CDD Society को भेजकर लेख है, कि MoU की शर्तो के अनुरूप FSSM की डीपीआर बनाई जाकर विभाग को प्रस्तुत करावें।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx